छत्तीसगढ़ सूचना आयोग

निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

<u>अपील प्रकरण कमांक 880/2007</u>

1. **श्री विजय कुमार दुबे,** — *अपीलार्थी*
संजू कोचिंग सेन्टर, क्लब पारा,
महासमुंद (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. ***जन सूचना अधिकारी,*** — ***प्रति अपीलार्थी***
छ0ग0 शासन, स्कूल शिक्षा विभाग,
मंत्रालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)

//<u>आदेश</u>//

(दिनांक 05 मई, 2008)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री विजय कुमार दुबे द्वारा जनसूचना अधिकारी, छ0ग0 शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय के समक्ष जानकारी प्राप्त करने के लिए दिनांक 21.06.2007 को आवेदन प्रस्तुत किया था, उक्त आवेदन पर समयावधि में जानकारी प्राप्त नही होने के कारण उनके द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 08.08.2007 को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई, किन्तु उक्त अपील पर उनके द्वारा सुनवाई नही किये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा आयोग के समक्ष दिनांक 25.09.2007 को यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया और उभय पक्ष के तर्कों का श्रवण किया गया । प्रकरण में जन सूचना अधिकारी, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय तथा जन सूचना अधिकारी, कार्यालय लोक शिक्षण संचालनायल, रायपुर दोनों को दस हजार रूपये शास्ति का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया, जिसका उत्तर उनके द्वारा दिया गया । उत्तर में जन सूचना अधिकारी, मंत्रालय द्वारा बताया गया कि दिनांक 03.12.2007 को बिन्दु कमांक-1 से संबंधित 69 पृष्ठ की जानकारी उपलब्ध कराई जा चुकी है और शेष बिन्दुओं की जानकारी अधिनियम के अन्तर्गत नही आने से देना संभव नही है तथा उन्होंने दिनांक 03.12.2007 का एक अपीलार्थी का पत्र भी संलग्न किया है, जिसमें दी गई जानकारी से संतुष्ट होना बताकर प्रस्तावित दण्ड विलोपित करने का भी अनुरोध किया है । प्रकरण में सुनवाई दिनांक 29.04.2008 को अपीलार्थी द्वारा लिखित तर्क भी प्रस्तुत किया गया है, किन्तु उनके तर्कों में शिक्षाकर्मी पद पर नियमित किये जाने के संबंध में ही उनकी मॉग का उल्लेख है, जो शासन के नियमों के अनुसार

ही संभव हो सकता है और इससे वे असंतुष्ट होते है तो सक्षम न्यायालय में ही जाना होगा, यह सूचना आयोग के अधिकार क्षेत्र में नही है कि उसकी इच्छानुसार नियमित करने के लिए शासन को निर्देश दें । अपीलार्थी ने अपने आवेदन दिनांक 21.06.2007 में भी नियमों की व्याख्या अथवा शासन से कई प्रकार के प्रश्न किये हैं, जिनका अधिनियम के अन्तर्गत उत्तर दिये जाने के लिए कोई बाध्यता नही है और प्रकरण में जितनी जानकारी विभाग द्वारा दी जाने योग्य थी, वह दी जा चुकी है । फिर भी जैसा कि उनका आवेदन दिनांक 29.04.2008 में उल्लेख है कि उन्हीं के समान प्रकार के संविलियन किये गये कुछ कर्मचारियों को जो लाभ दिया गया है और उन्हें नही दिया है, इससे समानता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, अत: उनका यह आवेदन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग की ओर भेजते हुये यह निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी को व्यक्तिगत सुनवाई का मौका दें तथा उनके समस्त प्रकरण को एक बार पुनः देख लें । यदि समान प्रकार के प्रकरणों में दो प्रकार के निर्णय लिये गये हैं तो इसके संबंध में संबंधित दस्तावेजों की प्रतियॉं और ऐसा निर्णय लिये जाने का कारण नोट शीट में उल्लेख हो तो उसकी प्रतियॉं 15 दिवस में अपीलार्थी को नि:शुल्क प्रदान की जावे । चूंकि कारण बताओ सूचना पत्र का उत्तर संतोषप्रद है, अत: इस प्रकरण में शास्ति की कोई आवश्यकता नही है, अत: उक्त दोनों कारण बताओ सूचना पत्र निरस्त किये जाते हैं । प्रकरण में किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति दिलवाये जाने की आवश्यकता नही है ।

3/ उपरोक्त निर्देशों के साथ उक्त अपील प्रकरण का निराकरण किया जाता है ।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त